फर्द अहकाम

(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

ग्राम पंचायत झर जरिये सरपंच बनाम् सरकार

प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025/360

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
11.07.2025	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत झर ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत झर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश क्रमांक/02/86/2022/4104 दिनांक 12.07.2022 की पालना में ग्राम झर के खसरा नम्बर 1751 में से रकबा 0.0800 है0 भूमि पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झर के लिए आवंटित की गई थी। प्रस्तावित आवंटित भूमि पर पहुचने हेतु उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि की तरमीम इसी खसरा नम्बर में सड़क पर कर दिया जाये तो आवागमन एवं पहुच मार्ग सुगम होगा, जिससे असुविधा से बचा जा सकता है। अतः खसरा नम्बर 1751 में ही संलग्न नजरी नक्शानुसार पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झर की तरमीम प्रस्तावित नवीन जगह पर किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी कर तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ./2025/3538 दिनांक 12.06.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि ग्राम झर के खसरा नम्बर 2929/1751 रकबा 0.0800 है0 किस्म भवन निर्माण पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झर हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा नवीन प्रस्तावित जगह मुख्य सड़क के नजदीक है। अतः प्रस्तावित जगह के प्रस्ताव 02 प्रतियों में तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् हम पाते है कि कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश पत्रांकः आर.2(86)/2022/4104 दिनांक 12.07.2022 द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति प्रदान करने पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि निर्धारित नोर्म्स के अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) निमय 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए ग्राम झर के खसरा नम्बर 1751 रकबा 20.62 है0 किस्म चरागाह में से 0.08 है0 भूमि पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झर तहसील बस्सी के भवन निर्माण हेतु निर्धारित आवंटन शर्तो के आधार पर आवंटन किया गया है। जिसकी पालना में ग्राम झर के खसरा नम्बर 1751 में से रकबा 0.0800 है0 भूमि पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झर के लिए आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि पर पहुचने हेतु उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त आवंटित भूमि की तरमीम इसी खसरा नम्बर में सड़क मार्ग एवं आवागमन की सुगमता को देखते हुए ग्राम पंचायत झर द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बस्सी को ग्राम झर के खसरा नम्बर 1751 में से श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर द्वारा आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2929/1751 रकबा 0.0800 है0 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झर की तरमीम ग्राम पंचायत झर द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार किया जाने का आदेश दिया जाता है। श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर द्वारा जारी आवंटन की शर्तें ज्योकि त्यो लागू रहेगी। तहसीलदार बस्सी को उक्तानुसार निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	